कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश
17—न्यू बेरी रोड.,डालीबाग,लखनऊ।

पत्र संख्याः 56/ली /सां./ दिनांक 10-11- ,2017

समस्त,
उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त,
जिला गन्ना अधिकारी/गन्ना निरीक्षक एवं
सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

विषयः— पेराई सत्र 2017—18 में घटतौली रोकने संबंधी कम्पोजिट निर्देश के संबंध में।

पेराई सत्र 2017—18 में गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जाते है :—

चीनी मिल गेट

1. चीनी मिल गेट पर गन्ने की गाड़ियों के लिए बने यार्ड का निरीक्षण चीनी मिल चलने से पूर्व कर निरीक्षण पत्र पर अंकित किया जाये एवं उनका निराकरण भी करा लिया जाये। उक्त निरीक्षण की एक—एक प्रति अध्यासी, आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त को भेज दिया जाये। तथा चीनी मिल गेट पर मानक के अनुरूप गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों के जानवरों हेतु भी पर्याप्त क्षमता की नांद में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाये। वाहय क्रय केन्द्रों पर हैण्ड पम्प चालू हालत में रखे जाये। वाहय केन्द्रों पर तथा मिल यार्ड के अन्दर सड़को को दुरूस्त रखा जाये। मिल यार्ड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखी जाये तथा शेड पर्याप्त मात्रा में बनवाया जाये। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त सम्पादित करेंगे तथा मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराकर उसकी विस्तृत रिपोर्ट गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करें।

2. चीनी मिल गेट तथा वाहय गन्ना क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध रहने वाली निरीक्षण पंजिका के पृष्ठ (प्रत्येक चारं प्रतियों में) गन्ना निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जायेगें तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित व मुख्यालय के निर्धारित प्रारूप पर होगा। उक्त निरीक्षण पंजिका ए—4 साइज पर मुद्रित करायी जायेगी। प्रारूप निर्धारित कर दिया गया है। हर स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर ही अंकन किया जाये। किसी भी दशा में सादा कागज पर निरीक्षण टिप्पणी अंकित न की जाये।